



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254813
CG-DL-E-19062024-254813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]
No. 309]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2024/ज्येष्ठ 28, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2024/JYAISHTHA 28, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2024

सा.का.नि. 332(अ).—केन्द्रीय सरकार, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 में,—

(क) नियम 3ख के खंड (ड) में, "मानसिक मन्दता" शब्दों के स्थान पर "बौद्धिक दिव्यांगता वाली स्त्रियां" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्ररूप ड के, उप-पैरा (ड) में, "मानसिक मन्दता" शब्दों के स्थान पर, "बौद्धिक दिव्यांगता वाली स्त्रियां" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. एम-12015/27/2023-एमसीएच]

आराधना पटनायक, अपर सचिव

नोट.— गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 485(अ.) तारीख 13 जून, 2003 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 730(अ.), तारीख 12 अक्टूबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2024

G.S.R. 332(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003,—
 - (a) in rule 3B, in clause (e), for the words “mental retardation”, the words “women with intellectual disability” shall be substituted;
 - (b) in FORM E, in sub-paragraph (e), for the words “mental retardation”, the words “women with intellectual disability” shall be substituted.

[F. No. M-12015/27/2023-MCH]

ARADHANA PATNAIK, Addl. Secy.

Note.—The Medical Termination of Pregnancy Rules, 2003 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R.485(E) dated the 13th June, 2003 and subsequently amended vide notification number G.S.R.730(E), dated the 12th October, 2021.